

# समाधान योजना 2010

नामलिखित

निम्नलिखित

प्रपत्र-एक

कॉन्सिडरेशन दिनांक

## सहमति प्राप्ति के लिए प्रपत्र

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा)

(नियम 27 देखिए)

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अधीन उत्सर्जन (इमिशन) जारी रखने की सहमति के लिए आवेदन पत्र।

प्रेषक, .....

दिनांक .....

सेवा में,

सदस्य-सचिव,

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 के अधीन (1) ..... के औद्योगिक संयंत्र से (2)..... तक की अवधि के लिए उत्सर्जन करने हेतु सहमति के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2-अनुलग्नक/परिशिष्टियां, अन्य विशिष्टियां और नक्शे इसके साथ तीन प्रतियों में संलग्नक है।

3-मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुलग्नक/परिशिष्टियों और नक्शों में दी हुई सूचना जहां तक मेरी/हमारी जानकारी है सही है।

4-मैं/हम एतद्वारा निवेदन करता हूँ/करते हैं कि उत्सर्जन के स्थान या मात्रा या उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में सहमति के लिए नया आवेदन-पत्र दिया जायेगा और जब तक ऐसी सहमति नहीं दी जाती कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5-मैं/हम एतद्वारा सहमति अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास पूर्व सहमति के नवीनीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए राजी हूँ/हैं।

6-मैं/हम कोई अन्य सूचना बोर्ड द्वारा मांग की जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर .....

आवेदन का नाम.....

आवेदन का पता.....

संलग्नक :

(एक) अनुक्रमणिका/स्थल नक्शा

(दो) स्थलाकृति नक्शा (टोपोग्राफिकल मैप)

(तीन) उत्सर्जन की भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं और स्थल श्रोतों की विस्तृत विन्यास योजना और धुँआरों (स्टेक्स) की चिमनियों की स्थिति।

(चार) प्रोसेस फ्लोशीट।

(पांच) नवीनतम विश्लेषण रिपोर्ट

(छः) वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों का ब्योरा जिनकी व्यवस्था की गई है या जिनकी व्यवस्था का प्रस्ताव है।

(सात) आस-पास के वायु की गुणवत्ता रिपोर्ट यदि उपलब्ध हों।

(आठ) सहमति फीस के रूप में ..... के पक्ष में (झान आन) .....

रुपये का दिनांक..... का ड्राफ्ट संख्या.....

## प्रपत्र का अनुलग्नक

चिमनी

वर्तमान

नयी परिवर्तित

टिप्पणी - यदि कोई आवेदन उसके (चिमनी) के संबन्ध में जान बूझकर गलत सूचना देगा या कोई सूचना छिपायेगा तो उस पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाई की जायेगी।

इस अनुलग्नक को भरते समय, आवेदक ऐसी मदों के सम्बन्ध में, जो उसके कार्यकलाप से संबन्धित न हो 'प्रयोज्य नहीं' लिखेगा और खाली स्थान नहीं छोड़ेगा।

1-आवेदक का पूरा नाम पता

.....  
.....  
.....

(टेलीफोन संख्या)

2- भूमि/परिसर/संस्थान/कारखाना

उद्योग/स्थानिय निकाय का नाम

और पता।

(टेलिफोन संख्या)

3- ऐसी भूमि/परिसरकी जिसके लिए

जिला

आवेदन-पत्र दिया जाए राजस्व

कस्बा

नगर सर्वेक्षण संख्या दीजिए।

ग्राम

नगर सर्वेक्षण संख्या.....

राजस्व सर्वेक्षण संख्या .....

क्षेत्रफल हेक्टेयर में .....

4-उस मास और वर्ष का उल्लेख करें जिसमें

संयंत्र को वास्तविक रूप में चालू किया गया।

या चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

5-सिविल/सैनिक रक्षा/औद्योगिक संस्थान आदि का

जिला

उल्लेख/करें जिसकी प्रशासनिक अधिकारिता में

नियम

अध्यासियों को औद्योगिक संयंत्र स्थित हो।

नगर पालिका

ग्राम पंचायत/छावनी/रक्षा .....

पत्तन न्यास .....

राज्य सरकार .....

प्रतिषिद्ध क्षेत्र .....

केन्द्रीय सरकार .....

वायु पत्तन अधिकारी .....

6- (क) क्या संयन्त्र को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है?

हाँ/नहीं .....

(ख) यदि हाँ, तो प्रधिकारी का नाम बताइये और उस आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कीजिए जिसके अधीन क्षेत्र को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया।

7- प्रतिवर्ष संयन्त्र का कार्यकाल (वर्किंग सीजन) उल्लिखित करें।

पूरे वर्ष

..... से .....तक

..... से .....तक

..... से .....तक

लगातार /बैचबार

प्रति वर्ष

8- (क) प्रतिदिन कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या .....

(ख) परिसर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या .....

9- स्थल के आस-पास (5 कि०मी० अर्धव्यास) की भूमि का वर्तमान उपयोग इंगित करें: (एक) 1000 से अधिक जनसंख्या की बस्तियां (जनसंख्या और संयन्त्र से दूरी विनिर्दिष्ट करें)

(दो) वाणिज्यिक .....

(तीन) औद्योगिक .....

(चार) मत्स्य पालन .....

(पांच) अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/ .....

पहाड़ियां/पर्वत .....

(छः) प्राचीन स्मारक .....



13- प्रत्येक धुँआरा (स्टैक) का वायुमण्डलीय उत्सर्जन

(एक) धुँआरा संख्या

(दो) धुँआरा के निर्माण की सामग्री

(तीन) संलग्न धुँआरा

(चार) धुँआरा की ऊँचाई

(क) छत के ऊपर मीटर में

(ख) जमीन की सतह के ऊपर मीटर में

(पाँच) धुँआरा का शीर्ष :

(क) गोल या वृत्ताकार

(ख) शीर्ष पर भीतरी आयाम

(छः) फ्लू गैस तापमान, से०

(सात) गैस के निकलने की गति-एम/से

(क) फ्लू गैस का उत्सर्जन

मिली ग्राम/एम<sup>3</sup> में फ्लू गैस का विश्लेषण

धुँआरा संख्या	ईंधन का प्रकार	ईंधन की मात्रा प्रति घंटा	ईंधन का प्रकार	एस ओ <sup>2</sup>	एच सी	सी ओ.	विशिष्टियाँ	अन्य विनिर्दिष्टियाँ कीजिए
---------------	----------------	---------------------------	----------------	-------------------	-------	-------	-------------	----------------------------

(ख) प्रक्रिया उत्सर्जन

गैस की मात्रा घन मी० प्रति घंटा	एस ओ	सी ओ	एन ओ एक्स	एम जी/एम <sup>3</sup> में वैन्ट गैस का विश्लेषण
	2	2		हाईड्रोकार्बन विशिष्टियाँ अन्य विनिर्दिष्टियाँ कीजिए

(ग) भिन्न कण (पार्टी कुलेट) विश्लेषण

(यदि उपलब्ध हो, आकार वितरण)

धुँआरा संख्या

50/U..... प्रतिशत

10/U..... प्रतिशत

5/U..... प्रतिशत

3/U..... प्रतिशत

1/U..... प्रतिशत

(दो) रसायनिक रचना (यदि उपलब्ध हो)

14- फ्लू गैस का नमूना लेने की व्यवस्था का ब्योरा दीजिए।

15- उत्सर्जन के विलेखण के लिए उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाओं का ब्योरा दीजिए।

16- क्या वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है।

17- वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का ब्योरा।

(क) वर्तमान

विस्तृत विनिर्दिष्टियां दीजिए (ख) प्रस्तावित

(क्लेक्टर, प्रिसिपिटेटर, स्क्रबर इत्यादि)

18- वातायन उपस्कर द्वारा संचालित वायु की कुल मात्रा बताइए स्थापित या स्थापित किये जाने वाले उपस्करों का आकार और संख्या लिखिए :

19- निम्नलिखित ब्योरा दीजिए :

(क) कारखाने में कुल विनिधान और विधानिधान का वर्ष

(ख) वायु प्रदूषण नियन्त्रण की योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित व्यय।

(ग) वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए अब तक किया गया व्यय और की गई प्रगति (भौतिक) यदि कोई हो और विविधान का वर्ष और की गई भौतिक प्रगति, फर्म की योजना को पूरा करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा और किए गए व्यय और अपेक्षित समय का उल्लेख करना चाहिए।

(घ) वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र का, यदि कोई हो, वार्षिक सक्रिया और अनुरक्षण व्यय।

(ङ) फर्म द्वारा वायु प्रदूषण का नियन्त्रण करने के लिए अग्रसर कार्यवाही जो की जा रही हो।

20- अन्य सुसंगत सूचना यदि कोई हो

आवेदक का हस्ताक्षर	.....
आवेदक का नाम और पता	.....
फार्म का नाम और पता जिसकी	.....
ओर से आवेदन पत्र दिया जाए।	.....

**प्रपत्र और अनुलग्नक भरने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी**

केवल उन्ही मदों के लिए टिप्पणी दी जा रही है जिनके लिए स्पष्टीकरण वांछनीय समझा जाये।

**प्रपत्र :**

(1) यहाँ भूमि/परिसर के स्वामी के नाम का उल्लेख कीजिए यदि वह वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार विधिक कार्य के क्रम में आवेदक, उद्योग या कारखाने से भिन्न हो। यदि भूमि/परिसर कारखाने/उद्योग का हो तो उसे स्वयं का लिखिए।

(2) यहाँ दिनांक का उल्लेख कीजिए जब तक के लिए सहमति मांगी गई हो।

### 9 पत्र का अनुलग्नक

“वर्तमान” का तात्पर्य उससे है जो सहमति के लिए आवेदन करते समय प्रवर्तन में हो।

“नया” का तात्पर्य उससे है जो भविष्य में प्रवर्तन में लाया जाएगा।

“परिवर्तित” का तात्पर्य उससे है जिसे उत्सर्जन की मात्रा और/या गुण, उत्सर्जन आदि के प्रबन्ध और/या स्थान में परिवर्तन के कारण उपान्तरित कर दिया गया हो।

मद संख्या 1—यहां भूमि/परिसर के स्वामी के नाम का उल्लेख कीजिए यदि वह वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार विधिक कार्य के क्रम में आवेदक, उद्योग या कारखाने से भिन्न हो। यदि भूमि/परिसर/कारखाने/उद्योग का हो तो उसे स्वयं का लिखिए।

मद संख्या 2—यहाँ इस उद्योग संस्था/कारखाना/स्थानीय निकायों आदि का रजिस्ट्रीकृत नाम दीजिए जिसके अधीन कारोबार किया जाता हो।

मद संख्या 6—केवल उन्ही क्षेत्रों पर लागू होगी जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र हो जैसे आयुध कारखाना, टकसाल आदि।

मद संख्या 10—(ग) यहाँ गरमी, जाड़ा, बरसात और उसके बाद की ऋतुओं में 0 से 0 में तापमान उल्लेख करें।

(घ) यहां संयंत्र के स्थान में और उनके चारों ओर की वायु की मौसमी औसत दिशा और गति का उल्लेख करें।

उपयुक्त सूचना मौसम विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि से प्राप्त की जा सकती है।

मद संख्या 13—प्रत्येक धुआँरा उत्सर्जन के लिए फ्लू गैस उत्सर्जन, व प्रक्रिया (प्रोसेस) उत्सर्जन के विश्लेषण और भिन्न-भिन्न (पार्टिकुलेट) विश्लेषण किया जाना चाहिए। जहाँ कही धुआँरा की व्यवस्था न की गई वहां दुकान के भीतर निर्दिष्ट प्रदूषण तल सान्द्रता बताई जानी चाहिए।

उत्सर्जन में विभिन्न कण के रासायनिक विश्लेषण का ब्योरा दिया जाना चाहिए जैसे जैब पदार्थ, धातु, अधातु, रेडियोधर्मी पदार्थ, एस्बेस्टास, सिलिकेट आदि का ब्योरा।

पूंजीगत निवेश	सहमति शुल्क (वायु)	
	आरम्भिक शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
रु 1 लाख से कम	50	10
रु 1 लाख से रु 10 लाख तक	500	250
रु 10 लाख से रु 50 लाख तक	1,500	750
रु 50 लाख से रु 1 करोड तक	3,000	1,500
रु 1 करोड से रु 10 करोड तक	20,000	10,000
रु 10 करोड से रु 50 करोड तक	50,000	25,000
रु 50 करोड से रु 100 करोड तक	75,000	35,000
रु 100 करोड से रु 500 करोड तक	1,00,000	50,000
रु 500 करोड से रु 1000 करोड तक	1,50,000	75,000
रु 1000 करोड से रु 5000 करोड तक	2,50,000	1,25,000
रु 5000 करोड से रु 10000 करोड तक	5,00,000	2,50,000
रु 10000 करोड से अधिक	10,00,000	5,00,000

नोट :- सहमति (वायु) शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा जो कि "क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा" को देय होगा।